प्रकरण संख्या 6/2025 जीवनसिंह बनाम नारायणसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक मुकदमा नंबर 97/2018 दर्ज किया गया था, जिसमें प्रार्थी को कभी कोई सूचना नहीं दी गयी, न ही प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी थी। दिनांक 28.09.2018 एवं 07.01.2019 को प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गया, न ही प्रार्थी गांव में उपस्थित था, प्रार्थी बाहर गुजरात में मजदूरी करता था, नोटिस से भी प्रार्थी के बाहर के बाहर होना स्पष्ट है। दिनांक 07.01.2019 व 18.02.2019 को कोर्ट ही नहीं चली। अचानक दिनांक 18.04.2019 को पत्रावली निकल गयी व उक्त दिवस को एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया है, जबकि दिनांक 18.04.2019 का कोई नोटिस प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 9, 11, 12 व 17 की मृत्यु हो चुकी थी, जो उनके नोटिस से स्पष्ट है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लेकर उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दे दिया। ऐसी स्थिति में मृतकों के विरूद्ध जो डिक्री पारित की गयी है, वह त्रुटि पूर्ण है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकतरफा पारित आदेश को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को दोतरफा किया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रार्थी ने धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कियान्विती रोके जाने एवं वादग्रस्त भूमियों को किसी को विकय रहन बक्षीस नहीं करने बाबत् निवदेन किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.04.2024 तक अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, किन्तु अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा धारा 151 जा.दी. [illegible] पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जारी स्थगन को दिनांक 22.10.202[illegible] को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर [illegible] न्यायालय में अपील दिनांक 24.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:42:51 IST
Reason: SelfAttested

मु.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/3, 2, 4, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.2024 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी, किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलान्ट की निगरानी दिनांक 18.12.2024 को निरस्त कर दी गयी है, जिससे अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ने प्रकरण को दोतरफा करने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 20/2024 होकर प्रकरण तामिल में चल रहा था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.11.2024 नियत थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली नियत पेशी दिनांक से पूर्व दिनांक 22.10.2024 को रखी गयी एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है।

वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध आप न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को स्थगन जारी किया गया है। स्थगन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2025 को खारिज [illegible] अपील अपीलान्ट द्वारा अलग से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:42:51 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

जिसके प्रकरण संख्या Raj-O 28/2025 होकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.08.2025 नियत है।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट कि दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा पृथक से अपील पेश की जा चुकी है। इसलिए इस अपील को आगे जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर हुए निर्णय दिनांक 13.05.2025 के विरूद्ध एक पृथक से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी है, जिसके प्रकरण संख्या 28/2025 होकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.08.2025 नियत है। ऐसी स्थिति में एक ही प्रकरण की दो अपीलों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रश्नगत अपील इसी स्तर पर खारिज जाती है। निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:42:51 IST
Reason: SelfAttested